



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 18.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय एडीजे/जीएसटी कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1. मानवेन्द्र उर्फ डोलू पुत्र अशोक कुमार निवासी कोच बस स्टैण्ड वेदिका गेस्ट हाउस के पीछे उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु0अ0सं0 1039/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/जीएसटी कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ डोलू को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनीटरिंग सेल



हे0का0 संजय कुमार
कोर्ट मुहरीर



का0 राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

